समय सीमा/अति आवश्यक

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 667 /आर-915/2020/ब-1/चार भोपाल,दिनांक 11/07/2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
   मध्यप्रदेश शासन
   शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   (बजट नियंत्रण अधिकारी)

विषयः- Release of funds under Centrally Sponsored Schemes(CSS) and monitoring utilization of funds released- Guidelines regarding return of the Central share to the state treasury but not released further to the SNA account within the stipulated time frame.

सन्दर्भः-1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 661/आर-915/2020/ब-1/चार, भोपाल, दिनांक 08/07/2022
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 373/आर- 63/2022/ब-1/चार, भोपाल, दिनांक 31/03/2022
3. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एल 1-10/349/2022/ब-7/डीएमसी/चार,भोपाल, दिनांक 31/03/2022

-----0-----

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र क्रमांक-1 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में 31 मार्च 2022 तक प्राप्त केन्द्रांश की राशि को कोषालय के माध्यम से आहरित कर दिनांक 20 जुलाई 2022 तक संबंधित एसएनए खाते में जमा कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये। उक्त समयावधि के उपरांत अंतरण हेतु शेष रही केन्द्रांश की राशि भारत सरकार की संचित निधि में वापस किये जाने की कार्यवाही की जाना है।

अतः केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं से राशि आहरण कर 20 जुलाई 2022 तक संबंधित एसएनए खाते में राशि जमा कराये जाने हेतु वित्त विभाग के संदर्भित पत्रों 2 व 3 में लागू त्रैमासिक व्यय सीमा व आहरण सीमा (25 करोड से अधिक के देयक कोषालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु) से शिथिलता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है-

1. यह शिथिलता केवल केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये 20 जुलाई 2022 तक ही लागू होगी।

//2//

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश व समानुपातिक राज्यांश में से अवशेष राशि जो कि एसएनए खाते में जमा नहीं हो पायी है, के आहरण हेतु ही यह शिथिलता लागू होगी।
3. वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राप्त केन्द्रांश व समानुपातिक राज्यांश के लिये यह शिथिलता लागू नहीं होगी।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां. क्रमांक668/आर-915/2020/ब-1/चार भोपाल,दिनांक 11 /07/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. पर्यावास भवन, भोपाल की ओर आईएफएमआईएस में आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु।
2. समस्त उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर संबंधित प्रशासकीय विभागों से कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

समय सीमा/अति आवश्यक

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 661 /आर-915/2020/ब-1/चार भोपाल,दिनांक 08 /07/2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव
   मध्यप्रदेश शासन
   शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   (बजट नियंत्रण अधिकारी)

विषयः- Release of funds under Centrally Sponsored Schemes(CSS) and monitoring utilization of funds released- Guidelines regarding return of the Central share to the state treasury but not released further to the SNA account within the stipulated time frame.

सन्दर्भः- भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का पत्र क्रमांक F.No.1(33)/ PFMS/ /2022 दिनांक 07 जुलाई 2022

-----0-----

विषयांतर्गत केंद्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) की प्रक्रिया के सुचारू संपादन हेतु भारत सरकार के संदर्भित परिपत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

2/ भारत सरकार के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में 31 मार्च 2022 तक प्राप्त केन्द्रांश की राशि को कोषालय के माध्यम से आहरित कर दिनांक 20 जुलाई 2022 के पूर्व संबंधित एसएनए खाते में जमा कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये। उक्त समयावधि के उपरांत अंतरण हेतु शेष रही केन्द्रांश की राशि भारत सरकार की संचित निधि में वापस किये जाने की कार्यवाही की जाना है।

3/ अतः प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करे कि 31 मार्च 2022 तक भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की संपूर्ण राशि 20 जुलाई 2022 के पूर्व संबंधित एसएनए खाते में जमा करा दी जाये । इसके उपरांत केन्द्रांश की राशि अंतरण हेतु शेष रहती है, तो विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

//2//

पृष्ठां. क्रमांक662/आर-915/2020/ब-1/चार भोपाल,दिनांक08/07/2022

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र. पर्यावास भवन, भोपाल
2. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य पीएफएमएस पर्यवेक्षण इकाई, म.प्र. भोपाल
3. संचालक वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय भोपाल
4. आयुक्त, संचालनालय संस्थागत वित्त, म.प्र. विंध्याचल भवन, भोपाल

की ओर सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

F. No. 1/(33)/PFMS/2022
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block,
New Delhi, 7th July, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Release of funds under the Centrally Sponsored Schemes (CSS) and monitoring utilization of the funds released – Guidelines regarding return of the Central share released to the State treasury but not released further to the SNA account within the stipulated time frame.

The undersigned is directed to refer to this Department's OM No. 1(33)PFMS/2022 dated 20th May, 2022 on the above mentioned subject.

2. In view of the references received from Ministries/Departments and from the State Governments, a onetime relaxation from the DoE's instructions issued vide OM dated 20th May, 2022 is granted to the States/UTs to transfer the central share received on or before 31st March, 2022 under a CSS to the SNA account by 20th July, 2022 failing which such central share shall be returned to the CFI by the State Government through RBI advice.

3. This issues with the approval of competent authority.

Prateek K Singh 7/7/22
(Prateek Kumar Singh)
Director
Tel. No. 23094961

To

1. Secretaries of all Departments/Ministries, Government of India
2. Chief Secretaries of all States/UTs with Legislature
3. Financial Advisers of all Ministries of Government of India
4. Addl. CGA (PFMS), O/o CGA, INA, New Delhi

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक : एल 1–10/ 349/2022/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :– राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में।

———000———

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु निर्माण कार्य विभाग/वन विभाग (WDDF /FDDF के देयकों) सहित केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रवर्तित) योजनाओं हेतु ₹ 25 करोड़ से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित मदों के देयकों को छोड़कर शेष सभी देयकों के आहरण हेतु वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है:–

(I) पूँजीगत मदों से संबंधित समस्त आहरण ।

(II) पंद्रहवें वित्त आयोग के केन्द्र से प्राप्ति पश्चात आहरण ।

(III) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के तहत देय वापसियों से संबंधित आहरण ।

(IV) भू–अर्जन से संबंधित राशि एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए आवश्यक आहरण ।

2/– सभी प्रकार के देयकों के आहरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के अधीन रहेंगें। प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करे कि सभी प्रकार के आहरण में वित्तीय अधिकारों की पुस्तिका / प्रत्यायोजित अधिकार (Book of Financial Powers / Delegated Powers) का तथा अन्य सुसंगत नियमों का पालन करते हुए ही स्वीकृति आदेश जारी किया जाए ।

3/– वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में निम्न विवरण दिया जायेगा:–

(i) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आदेश की प्रति।

(ii) आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (DDO) जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा।

(iii) कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा ।

(iv) बजट प्रावधान, जो जारी किया गया एवं शेष का आवंटन प्रमाणीकरण।

(v) यह प्रमाण पत्र, कि राशि आहरण कर बैंक खातें में नहीं रखी जावेगी (उपरोक्त शर्त केन्द्र प्रवर्तित तथा केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं पर लागू नहीं होगी । भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार केन्द्र प्रवर्तित/केन्द्र क्षेत्रीय योजनाओं की राशि कोषालय से आहरित कर संबंधित SNA बैंक खाते में ही अंतरित की जाये) तथा योजनांतर्गत संचालित बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रतियॉ भी संलग्न करें।

4/– कंडिका 3 अनुसार प्राप्त विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन की समेकित तरलता/वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

5/– यह अनुमति आदेश जारी होने के 15 दिन अथवा उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च (जो भी पहले हो) तक ही वैध होगी ।

6/– यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक, बजट एवं अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रं. एल 1–10/350/2022/ब–7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन,मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव/संचालक बजट/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमांक : 373/आर–63/2022/ब–1/चार भोपाल दिनांक 31 मार्च 2022

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
शासन के समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2022–23 – बजट आवंटन एवं व्यय की त्रैमासिक कार्ययोजना के संबंध में दिशा–निर्देश ।

———000———

1. मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक– 02) अधिनियम, 2022 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये विभिन्न मांग संख्याओं में अनुदान प्राप्त किया गया है। मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक– 02) अधिनियम, 2022 के अनुसार मांग संख्यावार बजट पुस्तकें प्रकाशित हैं एवं वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(I) <u>बजट आवंटन</u> –

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 में आय–व्यय के संतुलन तथा मितव्ययता की दृष्टि से बजट आवंटन की निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(i) वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुक्त श्रेणी के व्ययों हेतु संलग्न <u>परिशिष्ट–1</u> अनुसार बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का **100 प्रतिशत** आवंटन जारी किया जाता हैं ।

(ii) **परिशिष्ट–1** के अतिरिक्त **राजस्व व्यय** के अन्य बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का **80 प्रतिशत** आवंटन जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता होने पर विभाग संलग्न <u>प्रारूप–1</u> अनुसार वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेगा ।

(iii) **परिशिष्ट–1** के अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के अन्य बजट शीर्षो में प्रावधानित बजट का **100 प्रतिशत** आवंटन जारी किया जाता है। **परिशिष्ट–2** (विशेष व्यय सीमा) में उल्लेखित विभागों के पूंजीगत व्ययों हेतु प्रावधानित बजट का **100 प्रतिशत** तदनुसार दर्शित सीमा के अंतर्गत विमुक्त किया जाता है।

(vi) **परिशिष्ट–3** में उल्लेखित योजनाओं में वित्त विभाग से अनुमति उपरांत ही आहरण किया जा सकेगा।

(v) **परिशिष्ट–4** में उल्लेखित योजनाओं में सक्षम प्राधिकारी से योजना का अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग, वित्त विभाग को अवगत करायेगा। वित्त विभाग द्वारा परिशिष्ट 4 से योजना को हटाने के उपरांत योजना के सुसंगत नियमों के अनुसार आहरण किया जा सकेगा ।

(II) **व्यय की त्रैमासिक कार्य योजना –**

3. प्रशासकीय विभागों द्वारा किये जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :–

(i) 'मुक्त' श्रेणी के व्यय – ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में त्रैमासिक / विशेष व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो। (वेतन–भत्ते–मजदूरी /न्यायालयीन डिक्री /छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/प्राकृतिक आपदा/ ऋण अदायगी आदि अतिआवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है। ऐसे व्ययों पर त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा लागू नहीं होगी।)

(ii) सामान्य श्रेणी के व्यय (ऐसे समस्त व्यय जो 'मुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत न हो)

4. कंडिका 3 (ii) अनुसार वर्गीकृत सामान्य श्रेणी के व्ययों के लिए निम्नांकित दो प्रकार के नियंत्रण हो सकते हैं :–

(क) त्रैमासिक व्यय सीमा

(ख) विशेष व्यय सीमा

4.1 **त्रैमासिक व्यय सीमा –**

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जायेगा । प्रथम दो त्रैमास में अधिकतम 55 प्रतिशत, प्रथम तीन त्रैमास में अधिकतम 80 प्रतिशत तथा केवल चतुर्थ त्रैमास हेतु बजट प्रावधान का अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है । निर्धारण का आधार **प्रारूप–2** में दर्शाया गया है ।

त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (उद्देश्य शीर्ष स्तर तक) पर लागू होगी ।

टीप :– यदि एकमुश्त भुगतान (जैसे उपकरणों का क्रय आदि) किया जाना हो, तो विभाग त्रैमासिक व्यय सीमा से शिथिलता हेतु प्रकरणवार प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित कर सकता है।

4.2 **विशेष व्यय सीमा –**

विशेष व्यय सीमा त्रैमासिक व्यय सीमा के स्थान पर निर्धारित की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु पूँजीगत कार्यो के लिए विशेष व्यय सीमा **परिशिष्ट–2** के अनुसार होगी । उक्त विशेष व्यय सीमा त्रैमासिक व्यय सीमाओं के स्थान पर लागू मानी जाएगी, अर्थात् उल्लेखित अवधि के दौरान उल्लेखित व्यय शीर्षो पर केवल उल्लेखित व्यय सीमा लागू होंगी, त्रैमासिक व्यय सीमाएं लागू नहीं होंगी ।

4.3 <u>त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन –</u>

अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है ।

यदि एक बीसीओ दूसरे बीसीओ को राशि हस्तांतरित करता है, तो दूसरे बीसीओ द्वारा हस्तांतरित राशि में से किए गए व्यय को, पहले बीसीओ की त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा ।

यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षो में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है ।

(III) <u>अन्य निर्देश –</u>

(i) बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा इस बजट आवंटन आदेश से जारी होने वाला बजट IFMIS के माध्यम से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(ii) मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी चाहिये।

(iii) मध्यप्रदेश वित्त संहिता भाग–1 के नियम 9 में वर्णित वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों तथा शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। बजट आवंटन से अधिक के नवीन कार्यों/दायित्व निर्मित नहीं किये जाऐं। उपलब्ध बजट आवंटन से सर्वप्रथम पुराने लंबित दायित्वों का निराकरण किया जाए तत्पश्चात शेष उपलब्ध आवंटन के अनुरूप वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारण किया जाये।

(iv) यदि किसी योजनांतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है तो उपयोगिता प्रमाण पत्र की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2022–23 की अनुदान की राशि जारी की जाये।

(v) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय वर्ष के लेखे अगले वर्ष के सितंबर माह तक अंतिम किये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त वैधानिक निगमों को उनके अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप लेखों को अंतिमिकृत किया जाना चाहिये। अतः ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/वैधानिक निगम जिनके द्वारा उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत लेखों को अंतिमिकृत नहीं किया गया हो उन्हें राज्य शासन के बज़ट से राशि जारी नहीं की जाये।

(vi) हितग्राही मूलक योजनाओं में उपलब्ध बजट आवंटन के अनुसार ही वित्तीय वर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाएं।

(vii) किसी भी योजनांतर्गत राशि के आहरण की स्वीकृति तब तक जारी नहीं की जाए जब तक कि देयता निर्मित नहीं हो गई हो।

(viii) केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पोषित योजनाओं में केंद्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात् ही केंद्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया जाकर SNA खातों में राशि अंतरित की जाना चाहिये।

(ix) जिन योजनाओं/कार्यक्रमों में भारत सरकार से प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय होने के अधिकतम दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए।

(x) बजट के कुछ शीर्षो में प्रावधान विभिन्न विकास उपकरों से होने वाली आय से निर्मित विकास एवं कल्याण निधियों से धनराशि अंतरित होने की अपेक्षा में किया गया है । ऐसे मामलों में निधियों में धनराशि अंतरित होने के उपरांत ही आवंटन विमुक्त किया जायेगा । जिन क्षेत्रों/योजनाओं पर विभिन्न निधियों से उपलब्ध धनराशि/बजट प्रावधान का व्यय किया जाना है उनमें वित्तीय स्वीकृति जारी करने के लिये आवश्यक प्रस्ताव इसी वित्तीय वर्ष में यथा समय वित्त विभाग को भेजे जायें । प्रशासकीय विभाग द्वारा आवधिक समायोजन के आदेश वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व जारी करने की कार्यवाही की जाएं।

(xi) आरक्षित निधियों में अंतरण की कार्यवाही वित्त विभाग से सहमति उपरांत की जाना आवश्यक है। वित्त विभाग से सहमति उपरांत आरक्षित निधियों में अंतरण के आदेश विभाग द्वारा जारी कर महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग को प्रेषित किये जाए। साथ ही आईएफएमआईएस से भी आरक्षित निधियों में अंतरण की कार्यवाही वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व कराई जाना सुनिश्चित करे।

(xii) बजट अनुमानों में अपरीक्षित मदों में रखे गये प्रावधानों के विरूद्ध व्यय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र कमॉक–347/आर.1703/चार/ब–1/2012 दिनांक 31.03.2017 (अथवा इस दिनांक के पश्चात इस विषय पर जारी परिपत्र अनुसार) में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के उपरांत किया जाये ।

(xiii) नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।

(xiv) वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु इन निर्देशों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक, बजट एवं अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 374 / आर–63 / 2022 / ब–1 / चार . भोपाल दिनांक 3। मार्च 2022 .

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन,मध्यप्रदेश भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल ।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल ।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर / ग्वालियर ।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी / आडिट) 1 / 2 म.प्र. ग्वालियर / भोपाल ।
9. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल ।
10. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।
11. समस्त सचिव / संचालक बजट / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
12. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, मध्यप्रदेश ।
14. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
16. संचालनालय, वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली, भोपाल को वित्त विभाग की वेबसाईट www.finance.mp.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

(रूपेश कुमार पठवार)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट–1

मुक्त श्रेणी के व्यय

क्र.	व्यय का प्रकार	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
(क)	छात्रवृत्ति के निम्न मद।	–	–	–	41– छात्रवृत्तियॉ एवं वृत्तियॉ	001–शिष्य वृत्ति 002–छात्रवृत्ति 003–अध्ययन भ्रमण
(ख)	जहॉ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/भत्तों का भुगतान होता हो।	–	–	–	42– सहायक अनुदान	002–संधारण अनुदान (वेतन, भत्ते, मानदेय इत्यादि)
		027– स्कूल शिक्षा	2202	0581,2669, 3491,4396, 8403	42– सहायक अनुदान	009–पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना कियान्वयन हेतु अनुदान
		033–जनजातीय कार्य	2202	2773,3496	42– सहायक अनुदान	009–पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना कियान्वयन हेतु अनुदान
(ग)	जहॉ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे– प्राकृतिक– आपदा आरवीसी 6(4) के तहत भुगतान, राहत राशियां इत्यादि)	008–भू राजस्व, जिला प्रशासन तथा आपदा राहत पर व्यय	2235 उप मुख्य शीर्ष –60 लघु शीर्ष–800	–	–	–
			2245,4250 एवं 6245	–	–	–
(घ)	अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा	033–जनजातीय कार्य 049–अनुसूचित जाति कल्याण	2225	5191	–	–
(ड.)	न्यायालयीन आदेश/डिक्री से संबंधित भुगतान	–	–	–	53–डिक्री धन का भुगतान	–
(च)	शासन की ऐसी देयताएं, जहॉ निधारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे– ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियां)	•(dot) मारित विनियोग ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा ••(double dot) मारित विनियोग लोक ऋण	–	–	–	–
		011– औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	4875	7879	68–एन्यूटी	–
		006–वित्त	2071	–	–	–
			6075	6787, 6788, 6842		
			7610	9084,9085	–	–
		024–लोक निर्माण कार्य	5054	6738	68–एन्यूटी	–

क्र.	व्यय का प्रकार	मांग संख्या	मुख्य शीर्ष	योजना क्रमांक	उद्देश्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष
(छ)	स्थापना व्यय/सामाजिक सुरक्षा पेंशन	–	–	–	11–वेतन, भत्ते, 12–मजदूरी, 13–पेंशन तथा अनुषांगिक लाभ, 15–सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 16–वेतन भत्ते अखिल भारतीय सेवा, 17–वेतन भत्ते विधायक/मंत्री, 18–वेतन भत्ते न्यायिक सेवा, 19–कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों का वेतन, 21–यात्रा भत्ता	
		–	–	–	22– कार्यालय व्यय	001– डाक एवं तार व्यय, 002–दूरभाष व्यय, 004– पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकाएं, 005– बिजली एवं जल प्रभार, 007–लेखन सामग्री एवं फॉर्म, 009– पेट्रोल, तेल आदि, 011–किराया महसूल और स्थानीय कर
(ज)	15वें वित्त आयोग से संबंधित व्यय	022–नगरीय विकास एवं आवास	–	9638, 9640	–	–
		040–पंचायत	–	9638	–	–
(झ)	अन्य आवश्यक व्यय	007–वाणिज्यिक कर	–	4612	–	–
		010–वन	–	0535, 7781	31–व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	007–परिवहन व्यवस्था
		012–ऊर्जा	–	2362, 5378, 5381, 5855 एवं 7313	–	–
		022–नगरीय विकास एवं आवास	–	8018	42– सहायक अनुदान	008– राज्य शासन द्वारा उद्ग्रहीत और संग्रहीत कर आदि का स्थानीय निकायों को समनुदेशन
			–	1425	45–पूंजीगत परिसंपत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	001– पूंजीगत परिसंपत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान
		030–ग्रामीण विकास	–	6255	42– सहायक अनुदान	009–पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना कियान्वयन हेतु अनुदान
		032–जनसंपर्क	–	1294	44– राज सहायता	008– अन्य राज सहायता
		033–जनजातीय कार्य	–	7763	42– सहायक अनुदान	007–अन्य
		040–पंचायत	–	8214	42– सहायक अनुदान	009–पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से योजना कियान्वयन हेतु अनुदान
			–	6299	42– सहायक अनुदान	007–अन्य
		051–धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	–	6225	–	–
		055–महिला एवं बाल विकास	–	0658, 5643, 6392, 9050	31–व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियाँ	004–विशेष सेवाओं के लिये मानदेय

परिशिष्ट–2

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रूपये करोड़ में)

क्रं	विभाग	माँग	मासिक विशेष व्यय सीमा												
			अप्रैल 2022	मई 2022	जून 2022	जुलाई 2022	अगस्त 2022	सितंबर 2022	अक्टूबर 2022	नवंबर 2022	दिसंबर 2022	जनवरी 2023	फरवरी 2023	मार्च 2023	विभाग का कुल
1	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	020	692	692	692	692	692	692	692	692	689	519	519	518	7781
2	लोक निर्माण	024	499	499	499	499	499	499	499	499	502	374	374	375	5617
3	जल संसाधन	023	408	408	408	408	408	408	408	408	405	306	306	305	4586
4	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	030	346	346	346	346	346	346	346	346	344	259	259	260	3890
5	ऊर्जा	012	322	322	322	322	322	322	322	322	326	242	242	241	3627
6	नर्मदा घाटी विकास	048	267	267	267	267	267	267	267	267	266	200	200	201	3003
7	नगरीय विकास एवं आवास	022	257	257	257	257	257	257	257	257	255	193	193	192	2889
8	जनजातीय कार्य	033	133	133	133	133	133	133	133	133	130	100	100	99	1493
9	स्कूल शिक्षा	027	130	130	130	130	130	130	130	130	127	97	97	98	1459
10	राजस्व	008	126	126	126	126	126	126	126	126	130	95	95	94	1422
11	वन	010	124	124	124	124	124	124	124	124	127	93	93	94	1399
12	चिकित्सा शिक्षा	052	95	95	95	95	95	95	95	95	94	71	71	71	1067
13	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	019	81	81	81	81	81	81	81	81	78	60	60	61	907
14	उच्च शिक्षा	044	60	60	60	60	60	60	60	60	63	45	45	46	679
	माहवार योग		3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3540	3536	2654	2654	2655	

नोट – यह विशेष व्यय सीमा ऊपर वर्णित मांग संख्या के अंतर्गत आने वाली सभी पूंजीगत मदों के लिये है।

परिशिष्ट–3

वित्त विभाग से अनुमति उपरांत ही आहरण योग्य योजनाएं

क्र0	विभाग का नाम	योजना का क्रमांक एवं नाम
1	नगरीय विकास एवं आवास	7705 – स्मार्ट सिटी
		9935 – नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण
2	गृह	3059 – मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना
3	महिला एवं बाल विकास	5067 – लाडली लक्ष्मी योजना–42–007
4	चिकित्सा शिक्षा	7853 – नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना
5	सहकारिता	9254 – सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान
		2341 – मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना
6	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1299 – लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति
7	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	7879 – औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास
		5531 – डेस्टिनेशन म0प्र0 इन्वेस्टमेंट ड्राइव
		9842 – औद्योगिक क्षेत्रों का लैण्डपूलिंग योजना अंतर्गत विकास
8	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	6820 – क्लस्टर की स्थापना
9	संस्कृति	7060 – सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
		0749 – वेदान्त पीठ की स्थापना
		9571 – रामपथ गमन अंचल विकास योजना
10	जनजातीय कार्य	7826 – कक्षा 9वीं से 12वी तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योजना
11	जनसंपर्क	7660 – कार्यक्रम, आयोजन तथा प्रबंधन
12	राजस्व	7667 – 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण
		8030 – पुनर्स्थापन के लिये सहायता एवं अन्य कार्य हेतु
		9594 – एसडीआरएफ / एसडीएमएफ फण्ड(ब्याज भुगतान)
13	वन	8859 – वन पर्यटन से प्राप्त आय के सापेक्ष व्ययों का समायोजन
14	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	6496 – उद्यानिकी फसलोत्तर प्रबंधन अंतर्गत स्वीकृत शीत श्रृंखला की अधोसंरचना विकास की प्रोत्साहन योजना
15	श्रम	2365 – मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना
16	कृषि	7847 – मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना
		9599 – फसल अवशेष प्रबंधन योजना

परिशिष्ट–4

सक्षम प्राधिकारी से योजना की अनुमति उपरांत आहरण योग्य योजनाएं

क्र0	विभाग का नाम	योजना का क्रमांक एवं नाम
1	नगरीय विकास एवं आवास	9578 – नगरीय निकायों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अग्निशमन व्यवस्था हेतु अनुदान
		9631 – नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण
		9611 – स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना
2	गृह	9982 – मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल दतिया
3	महिला एवं बाल विकास	9586 – लाडली लक्ष्मी योजना निधि (ब्याज भुगतान)
		6103 – समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) (मिशन वात्सल्य) केवल पूंजीगत मद
		8052 – किशोर कल्याण निधि योजना
		9499 – आगंनवाडी भवनों में विधुत व्यवस्था
		9614 – महिलाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
4	स्कूल शिक्षा	7912 – शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओ का संधारण एवं अन्य कार्य
		9560 – कलाओं से समृद्ध शिक्षा–अनुगूंज
		9563 – जननिजी भागीदारी अंतर्गत सैनिक स्कूल की स्थापना
		9573 – सैनिक स्कूल रीवा में बालिका छात्रावास निर्माण हेतु अनुदान
		9562 – समरसता छात्रावास
		9616 – योग आयोग की स्थापना
5	लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	9549 – मध्यप्रदेश राज्य परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी लिमिटेड को सहायता
6	ऊर्जा	7837– 15 वें वित्त आयोग के अनुरूप अपेक्षित सुधार करने पर सहायता
7	जनजातीय कार्य	7912 – शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओ का संधारण एवं अन्य कार्य
		9604 – अनुसूचित जनजाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
8	राजस्व	6276 – आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु
9	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी	9583 – आकांक्षी विकासखण्ड सहायता योजना
		9584 – डाटा सुदृढ़ीकरण योजना
		9602 – शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
10	विमानन	6592 – नये जेट विमान का क्रय
11	पिछडा वर्ग कल्याण	5181 – बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण
		9807 – पिछडा वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
12	आयुष	9519 – देवारण्य योजना
13	अनुसूचित जाति कल्याण	9606 – अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगार मूलक आर्थिक सहायता
14	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9585 – राज्य हीमोग्लोबीनोपैथी मिशन
15	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	9561 – शासकीय माईनिंग इंजीनियरिंग महाविघालय सिंगरौली
		9617 – मुख्यमंत्री कारीगर कौशल उन्नयन योजना
16	उच्च शिक्षा	9574 – शासकीय महाविघालयों में वर्चुअल शिक्षण व्यवस्था

17	वन	7824 – प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि पर ब्याज भुगतान
18	पशुपालन	9612 – मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना
19	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	9613 – मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना
20	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	9538 – निर्यात प्रोत्साहन योजना
		9531 – एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना
21	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	9811 – स्थानीय निकायों हेतु प्रोत्साहन योजना
		9579 – राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नर्मदा तट पर स्थित ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान योजना
		9580 – राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर भीमबैठका तथा तामिया के पर्यटन विकास हेतु अनुदान योजना
22	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	9551 – सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण
23	जल संसाधन	9551 – सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण
24	नर्मदा घाटी विकास	9551 – सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर ऊर्जीकरण
25	सामान्य प्रशासन	9608 – क्वालिटी एश्योरेंस काउंसिल
26	जेल	7817 – बंदियों द्वारा सामग्री निर्माण हेतु एक मुश्त सहायता
27	लोक सेवा प्रबंधन	9602 – शासकीय योजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
28	खनिज	9531 – एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना
29	कृषि	9529 – मांग आधारित कृषि हेतु कृषि विविधीकरण की योजना
		9530 – जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार प्रसार की योजना
		9532 – म0प्र0 की विशिष्ट फसलों/किस्मों के जी.आई.टेग हेतु योजना
		9533 – म0प्र0 राज्य मिलेट मिशन योजना
		9534 – कृषक उत्पादक संगठनों(एफ.पी.ओ.) का गठन एवं संवर्धन योजना
		9538 – निर्यात प्रोत्साहन की योजना
		9576 – कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास योजना
		9598 – प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहन योजना
		9600 – कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम
		9531 – एक जिला एक उत्पाद की संचालन योजना
30	खेल एवं युवा कल्याण	7662 – खेलो इंडिया
31	घुमन्तु और अर्द्ध घुमन्तु जनजाति	9094 – समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण
		4049 – विमुक्त जातियों को रोजगार सहायता
32	समस्त विभाग	9545 – विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण
		अपरीक्षित मद की अन्य सभी नवीन योजनाएं

प्रारूप–1

बजट अनुमान 2022–23 में प्रावधानित शेष आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

(राशि लाख में)

I

बजट शीर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक सहित)	उपलब्ध आवंटन	पुनर्विनियोजन से वृद्धि/कमी	कुल उपलब्ध आवंटन (5=3+4)	अद्यतन व्यय	शेष उपलब्ध आवंटन (7=5-6)	अतिरिक्त आवश्यक राशि	आवश्यकता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II कंडिका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन से किये जाने के संबंध में टीप दे ।

III यदि कंडिका I में उल्लेखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित अथवा राज्य शासन से पृथक किसी अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित है, तो ऐसी सहायता राशि/केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दे ।

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण

- कंडिका 3(i) अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय पर त्रैमासिक व्यय सीमा लागू नहीं होगी।
- कंडिका 4.2 के अनुसार जिन बजट शीर्षों पर विशेष व्यय सीमा लागू हो वहाँ पर त्रैमासिक व्यय सीमा लागू नहीं होगी।
- शेष बजट शीर्षो के लिये त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (उद्देश्य शीर्ष स्तर तक) पर लागू होगी।

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगा :–

(A) =	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौती उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)

परिशिष्ट–2 को छोड़कर त्रैमासिक व्यय सीमा (पूंजीगत/राजस्व मद में) निम्नानुसार होगी :–

अवधि/त्रैमास	त्रैमासिक व्यय सीमा
Q1+Q2	उपरोक्त (A) का 55 %
Q1+Q2+Q3	उपरोक्त (A) का 80 %
Q4 (केवल)	उपरोक्त (A) का 30 % (अधिकतम)